न्यायालय राज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

2024/225 रतना व/स भोला वगै.

| पेशी | 2024/292 हुक्म या कार्यवाही मय हस्ताक्षर<br>श्री शहाबुद्दीन खान एड. श्री रामस्वरूप चौहान/1076 | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील जारी हुए |
|---|---|---|
| 5/12/24 | रतना बनाम भोली वगैरह (2024/292)<br>पत्रावली पेश की गई। अभिभाषक अपीलांट एवं अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 01 से 06 उपस्थित। अभिभाषक रेस्पोडेन्टस ने प्रारम्भिक आपत्ति प्रार्शना-पत्र पेश किया, प्रति अभिभाषक अपीलांट को दी गयी। प्रारम्भिक आपत्ति प्रार्थना-पत्र पर अभिभाषक उभयपक्ष को सुना गया। पत्रावली वास्ते आदेशार्थ दिनांक 20.12.2024 को पेश हो।<br>राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर | |
| 20/12/24 | पत्रावली वास्ते आदेशार्थ पेश हुयी। अभिभाषक अपीलांट एवं अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 01 से 06 उपस्थित। अभिभाषक उभयपक्ष को दिनांक 05.12.2024 को प्रार्थना पत्र प्रारम्भिक आपत्ति पर सुना गया।<br>अभिभाषक रेस्पोडेन्ट (प्रार्थना प्रस्तुतकर्ता) ने दौराने बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अजमेर द्वारा पारित आदेश दिनांक 28.10.2024 के विरूद्ध आदेश 43 नियम 1 (बी) मे वर्णित प्रावधानो अनुसार ऐसे आदेश के विरूद्ध अपील संधारण योग्य नहीं होने से उक्त अपील इसी आधार पर काबिल निरस्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अजमेर द्वारा राजस्व वाद पत्र तथा अस्थायी निषेधाज्ञा प्रार्थना-पत्र में पृथक-पृथक आदेश पारित किये है जिनके विरूद्ध अपीलांट/अप्रार्थीगण ने संयुक्त एक ही अपील प्रस्तुत करके उक्त आदेशों को चुनौती दी है जो चलने योग्य नहीं होने से इसी आधार पर काबिल खारिज किये जाने योग्य है। मान्नीय न्यायालय से अनुरोध है कि प्राथमिक आपत्ति प्रार्थना-पत्रं स्वीकार फरमाया जाकर अपीलांट/अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत अपील संधारण योग्य नहीं होने से इसी स्तर पर खारिज फरमाये जाने का आदेश प्रदान करावें।<br>अभिभाषक अपीलांट ने दौराने जवाब/बहस प्रारम्भिक आपत्ति प्रार्थना-पत्र में निवेदन किया कि वादीगण की विवादित भूमि खाता संख्या 37 के साविक खसरा नम्बर 431, 434, 432, 435, 438, 437 की पुश्तैनी कृषि है जिसमें वादीगण/अपीलांट का हक हिस्सा निहित है, सेटलमेन्ट विभाग द्वारा बिना सक्षम आदेश के प्रतिवादी के नाम हिस्से अधिक भूमि दर्ज कर दी इस बावत् अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 188 आर.टी. एक्ट प्रस्तुत किया गया है तथा साथ ही प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज. काश्तकारी अधिनियम भी प्रस्तुत किया गया। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट को निस्तारण नहीं किये जाने कारण अपीलांट ने मान्नीय न्यायालय के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई। दिनांक 17.01.2023 को विवादित भूमि की राजस्व रिकार्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखने के आदो पारित कर समस्त पक्षकारों की सुनवाई कर 60 दिवस में गुणावगुण पर निर्णय पारित करने हेंतु प्रकंरण को अधीनस्थ न्यायालय को रिमाण्ड किया गया तत्पश्चात् शेष पक्षकारों के नोटिस पेश कर दिये तथा उसके बाद अधीनस्थ न्यायालय ने आगे नोटिस तलबाना पेश करने के निर्देश नहीं दिये थे यह उनकी गलती थी, फिर भी प्रकरण को अधीनस्थ न्यायालय ने अदम पालना में खारिज किया गया है जो विधि सम्मत नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट को खारिज करने | राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर |

लगातार—

# अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी अज.

292/2024/225 रतना v/s शोभा

| तारीख | हुक्म या कार्यवाही मय हस्ताक्षर |
|---|---|
| पेशी | 2024/292 श्री साबुद्दीन खान श्री रामधन चौधरी 1A c |

के विरूद्ध यह अपील माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की है जिसका क्षेत्राधिकार माननीय न्यायालय को हैं इसलिए माननीय न्यायालय से अनुरोध है कि प्रारम्भिक आपत्ति प्रार्थना–पत्र को खारिज किये जाने के आदेश प्रदान करावें।

अभिभाषक उभयपक्ष के द्वारा प्रारम्भिक आपत्ति प्रार्थना–पत्र पर की गई बहस पर मनन किया गया तथा प्रार्थना–पत्र व अपील का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन अपीलांट ने यह अपील अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अजमेर के द्वारा प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज.काश्तकारी अधिनियम को दिनांक 28.10.2024 को खारिज किये जाने के विरूद्ध प्रस्तुत की है अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 28.10.2024 को मूल वाद पत्र को भी खारिज किया है जिसके विरूद्ध ना तो अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विधिक कार्यवाही की गई तथा ना ही न्यायालय हाजा में मूल वाद को खारिज किये जाने के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की है। अभिभाषक अपीलांट को दो आदेशों के विरूद्ध दो अपीले प्रस्तुत कि जानी चाहिए थी। ऐसी स्थिति में जब मूल वाद अधीनस्थ न्यायालय द्वारा खारिज किया जा चुका है प्रस्तुत अपील केवल प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज.काश्तकारी अधिनियम को पुनः नम्बर पर लिये के विरूद्ध प्रस्तुत की है जो मूल दावें की अपील के अभाव में सारहीन हो चुकी है। **अतः प्रारम्भिक आपत्ति प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाता है तथा अपील संधारण योग्य नहीं होने से खारिज की जाती है। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हों। आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया।**

**राजस्व अपील प्राधिकारी,**
**अजमेर**

दावे की नकल
प्रमाणित आदेश
पाप्त की
23/12/24

Scanned with CamScanner